गली वेंकटैया

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

नवम्बर 12, 2007

[डॉ अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.]

दंड संहिता 1860

धारा 304 (भाग क) और 300 अपवाद 4 – हत्या, अचानक झगड़े के दौरान - मृतक की पत्नी और बेटे द्वारा देखा गया - अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 302 भादसं, के तहत सजा-अपील के दौरान अभिनिर्धारित किया गया-इस तथ्य को दृष्टिगत रखते कि हमला अचानक झगडे के दौरान हुआ, दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग क) मे परिवर्तित किया गया।

धारा 300 अपवाद 4 - कब लागू होगा -व्याख्या की गई।

धारा 300 - अपवाद 1 और 4 - के बीच अंतर।

साक्ष्य-संबंधित गवाह-साक्ष्य मूल्य - अभिनिर्धारित किसी गवाह की विश्वसनीयता रिश्तेदारी के आधार पर अविश्सनीय नही होगी किंतु ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानी पूर्वक साक्ष्य का विशेषलण उसकी विश्वसनीयता के संबंध में करनी होगी -आपराधिक विचारण।

शब्द और वाक्यांश – 'अचानक लड़ाई और - अनुचित लाभ ' अर्थ -अपराध अंतर्गत धारा 300 भादसं के संदर्भ में।

अपीलार्थी- अभियुक्त को अपने भाई की मृत्यु कारित करने के संबंध में अभियोजित किया गया। अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त के मृतक के साथ

खराब संबंध थे। उसने मृतक पर चाकू से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। उक्त घटना को मृतक की पत्नी अभियोजन साक्षी सं 01 व उसके पुत्र अभियोजन साक्षी सं 02 व 3 ने देखा। विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्ष दर्शी साक्षीगण द्वारा दी गई साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 302 में दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील के दौरान, अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण मृतक के निकट संबंधी थे, उन के साक्ष्य पर पर विश्वास नहीं किया जा सकता और हमला अचानक झगडे के दौरान हुआ था।

न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अभिनिर्धारित किया कि:-

1. रिश्तेदारी के आधार पर गवाह की साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि संबंधों के आधार पर वास्तविक अभियोगी को नहीं बचाया जाता है और निर्दोष व्यक्ति पर अभियोग नहीं लगाया जाता है। यदि मुकदमें में झुठा फंसाने की दलील दी जाती है तो बुनियाद बताई जानी होगी। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानी पूर्वक साक्ष्य का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकालना होगा कि साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नही। [पैरा 07] [1034-डी, ई]

दिलीप सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1953) एससी 364 गुली चन्द व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [1974] 3 एससीसी 698 वेदीवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य एआईआर (1957) एससी 614 मासालती व अन्य बनाम यूपी राज्य एआईआर (1965) एससी 202 पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह, एआईआर (1973) एससी 2407 लेहना बनाम हरियाणा राज्य [2002] 3 एससीसी 76 गंगाधर बेहरा व अन्य बनाम उडीसा राज्य [2002] 8 एससीसी 381 बाबूलाल भगवान खांडरे व अन्य

बनाम महाराष्ट्र राज्य [2005] 10 एससीसी 404 एवं सलीम साहेब बनाम मध्यप्रदेश राज्य [2007] 1 एससीसी 699 पर निर्भर करता है।

2.1 इस मामले के तथ्यात्मक पृष्इभूमि अनुसार दोषसिद्धि 304 भाग क के अनुसार युक्ति युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह दर्शित था कि अपीलार्थी और मृतक के संबंध खराब थे और उक्त हमले से पूर्व दोनों के बीच में गर्मागर्मी हुई थी और दोनो ने झगडा किया था। [पैरा सं 18 व 14] [1037-जी, 1036-सी]

2.2 भादसं दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 04 को काम में लेने के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि मानव वध अचानक झगडा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लडाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी अनुचित लाभ उठाये बिना और कुररता पूर्ण या अप्राइक रिति से कार्य किए बिना किया गया हो। [पैरा सं 15] [1036-डी, ई]

2.3 अपवाद 04 की मदद तभी ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना पूर्व चिंतन (ख) अचानक लडाई (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या कुररता पूर्ण या अप्रायिक रिति से कार्य किए बिना किया गया हो (घ) लडाई मृतक के साथ ही होना ही निश्चित हों। [पैरा सं 16] [1037-बी, सी]

2.4 इस मामले में, पक्षकारान के मध्य आरंभ से ही गर्मागर्मी और बोलचाल हुई है दो व्यक्ति के मध्य लडाई हथियार सहित या हथियार बिना होना भी झगडा है। यह संभव नहीं है कि कोई सामान्य सिद्धांत हो कि किसे अचानक झगडा माना जाए। यह तथ्यों पर निर्भर करता है कि कोई झगडा अचानक हुआ है अथवा नहीं, किसी प्रकरण के साबित तथ्यों के आधार पर ही यह निर्भर करता हैं। अपवाद 04 के लागू होने के संबंध में केवल मात्र झगडा अचानक हो जाना और पूर्व चिंतन नहीं होना पर्याप्त नहीं है। यह भी बताना होगा कि अभियोगी ने कोई अनुचित लाभ नही उठाया है और

न ही कुरता पूर्ण या अप्रायिक रिति से कार्य किया गया है। अप्रायिक रिति शब्द का अर्थ अपवाद में अनुचित लाभ लिया गया है। [पैरा सं 16] [1037-डी, ई, एफ]

संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006] 4 एससीसी 653 को संदर्भित किया गया।

2.5 अभियोजन का उक्त मामला धारा 300 के 4 अपवाद अनुसार है और प्रथम अपवाद में नहीं आता है, इसका स्थान 4 अपवाद में ही युक्ति युक्त है। उक्त अपवाद समान सिद्धांत पर है कि पूर्व चिंतन बिना कृत्य होना चाहिए लेकिन अपवाद सं 01 के मामले में स्वयं नियंत्रण का अभाव है और अपवाद सं 04 अचानक झगडा जनित आवेश की तीव्रता है, अन्यथा ऐसा नही होता। अपवाद 4 में प्रकोपन है, जैसा कि अपवाद 1 में है लेकिन पहुचाई गई चोटें प्रकोपन के सीधे परिणामस्वरूप नहीं है। [पैरा सं 16] [1036-ई, एफ, जी]

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : दाण्डिक अपील संख्या 1533/2007।

उच्च न्यायालय के न्यायपालिका आंध्र प्रदेश के हैदराबाद 2003 के दाण्डिक अपील नंबर 1105 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश 31.10.2005 दिनांकित से उत्पन्न।

अपीलकर्ता के लिए सिद्धार्थ लुथरा, समीर पारेख, ललित चौहान, रणजीत रोहतागी और दीक्षा राय (पारेख एंड कम्पनी के लिए)।

प्रत्यर्थी की ओर से डॉ. भारती रेड्डी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील के द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च नयायालय की खंड पीठ के आदेश को चुनौती दी गई जिसने अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धारा 302 में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश नैलोर द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की थी और उसे आजीवन कारावास और 1000 रूपये के दंड और अदम अदायगी जुर्माना से दंडित किया गया था।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:-

गली कृष्णाईश (जिसे मृतक कहा गया है) गली सिथाईश और अपीलार्थी भाई है और इनके संबंध खराब हैं इस घटना से पूर्व अपीलार्थी ने मृतक को यह धमकी दी थी कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा। इस प्रकार दिनांक 13.09.1999 को लगभग प्रातः 8:30 बजे अपीलार्थी ने मृतक को मारने के आशय से हाथ में चाकू लेकर उसके पास गया और उसे खींचा और उसकी छाती के बांयी तरफ चाकू घोंप दिया और गहरी चोटें कारित की। इसके साथ ही एक दूसरी चोट कारित बांयी भुजा के बीच में कीं चाकू को मृतक की छाती में घोपा। जब मृतक के पुत्रों ने चिल्लाहट की तो अपीलार्थी चाकू को मौके पर छोड कर चला गया। मृतक को अस्पताल ले जाने के दौरान उसने चोटों के परिणामस्वरूप दम तोड दिया। मृतक की पत्नी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के आधार पर आपरधिक मामला 161/1999 नैलौर थाने में दर्ज हुआ और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और मामलें में झुूठा फंसाना बताया। अनविक्षण के दौरान 12 अभियोजन साक्षी परिषित हुए। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण 01 लगायत 03 की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए दोषसिद्ध किया गया एवं सजा सुनाई गई।

4. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता व वैघता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मुख्यतः तर्क यह था कि मृतक की पत्नी एवं पुत्र साक्षीगण 01 लगायत 03 इसलिए हितपद साक्षी थे। प्रकरण में अन्य स्वतंत्र साक्षीगण

ने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है और इस प्रकार अपराध अंतर्गत धारा 302 भादसं नही बनना पाया जाना बताया गया।

5. अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया उच्च नयायालय ने साक्षीगण 01 लगायत 03 द्वारा दी गई साक्ष्य को स्पष्ट सुसंगत और विश्वसनीय बताया और दोषसिद्धि का इसलिए त्रुटिपूर्ण नही माना। यह भी ध्यान में लगाया कि अभियोजन साक्षी सं 06 के साक्ष्य के अनुसार उसने अपीलार्थी और मृतक को लडते हुए देखा था और इस कारण से विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि दूषित नहीं है।

6. अपनी अपील के समर्थन में अपीलांट की ओर विद्वान अधिवक्ता ने साक्षीगण 01 लगायत 03 की ओर से दी गई साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं बताया क्योंकि वे मृतक के निकट संबंधी थे। यह भी बताया कि साक्षीगण 04 व 06 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है यह भी तर्क दिया कि हमला अचानक झगडे के दौरान हुआ था।

7. हम सबसे पहले गवाहान को हितबध्ता बताए गए तर्क पर विचार करते है। निकट संबंधी होने के आधार पर गवाह की साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नही होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को नही छुपाते हैं और निर्दोष व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग नहीं लगाते हैं यदि झुठा फंसाने की दलील दी जाती है तो बुनियादी आधार बताने होंगे ऐसे मामलों मे न्यायालय को साक्ष्य का बहुत सावधानीपूर्वक मुल्यांकन व विश्लेषण करके यह पता लगाना होगा कि दी गई साक्ष्य सुसंगत एवं विश्वसनीय है कि नहीं।

8. दलीप सिहं व अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह अभीनिर्धारित किया गया है कि :

"सामान्यतः गवाह को स्वतंत्र साक्षी ही माना जाएगा जब तक कि गवाह की अभियुक्त के साथ कोई रंजिश न हो और वह उसे झुठा फंसाना चहता हो। सामान्यतः निकट संबंधी ही वास्तविक दोषी को देखने वाला और निर्दोष व्यक्ति को झुठा फंसाने वाला हो सकता है। यह भी सही है कि तीव्र भावनाओं के अधीन के और रंजीश के व्यक्तिगत कारण होने पर निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रथा है लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस बुनियाद होना आवश्यक है केवल मात्र दूर की रिश्तेदारी होना ही सत्यता की गांरटी की बुनियाद होना नहीं है। फिर भी हम किसी सामान्यतः पाए जाने वाली स्थितियों को परे नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक मामले का उसके तथ्यों के अनुसार देखना चाहिए। हमारे टिप्पणियों को केवल उन मामलों के मुकाबले में बनाया जाना चाहिए जो प्रज्ञा के सामान्य सिद्धांत अनुसार हो ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित व नियंत्रित किया जाना चाहिए।"

9. उपरोक्त निर्णय गुली चंद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य [1974] 3 एससीसी 698 में जिसमें की वैदीवेलु बनमा मद्रास राज्य एआईआर [1957] एससी 614 पर भी निर्भर था।

10. हम यह भी देख सकते हैं कि गवाह कोई निकट संबंधी है और उसके परिणाम स्वरूप वह पक्षपातपूर्ण गवाह है उस पर विश्वास नही करना चाहिए, का कोई आधार नहीं है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय में पहले ही रद्द कर दिया है जैसा कि दलीप सिंह के मामले में इस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि बार के सदस्य निकट संबंधी को स्वतंत्र गवाह नहीं मान रहे थे। विवियन बोस न्यायाधीपति के द्वारा यह देखा गया था कि

"हम विद्वान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा दी गई साक्ष्य की ताईद अपेक्षित है। यदि इस अवधारणा की बुनियाद इस पर आधारित है कि गवाहान महिलाएं है और उनके द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर 07 पुरूषों का भाग्य लटका हुआ है तो हम ऐसे किसी नियम के बारे में नही जानते। यदि यह आधार लिया गया है कि वे मृतक के निकट संबंधी हैं तो हम इसमे सहमत होने पर भी असहमत है। यह कई आपराधिक मामलों के लिए एक आम बात हैं और एक इसी न्यायालय की दूसरी बैंच ने इसे दूर करने का प्रयास रामेश्वर बनाम राज. राज्य में किया है। फिर भी हम यह पाते हैं कि दुर्भाग्यवश यह स्थिति अभी भी कायम है। न्यायालय की निर्णयों में ना सही अधिवक्तागण के तर्कों में है।''

11. मसालती व अन्य बनमा यूपी राज्य में इसी को दोहराते हुए यह पाया गया है कि (पैरा 209-210 पैरा 14)

"लेकिन यह होगा कि, हम सोचते हैं कि यह तर्क युक्ति युक्त नहीं है कि गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य इस आधार पर दरकिनार कर दी चाहिए थी कि साक्ष्य पक्षपात पूर्ण और हितपद साक्षीगण की है। यदि यांत्रिकी पूर्ण तरीके से ऐसे साक्ष्य को केवल मात्र इस आधार पर दरकिनार किया जाता है कि यही न्याय पाने में असफलता होगी। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता कि कितनी साक्ष्य को काम में लेना है। न्यायिक विवेक का प्रयोग ऐसी साक्ष्य को पढे जाने के दौरान किया जाना चाहिए, लेकिन यह तर्क कि साक्ष्य इसलिए नहीं

पढी जानी चाहिए क्योंकि यह पक्षपता पूर्ण है और इसे सत्य के रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

12. पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह एआईआर (1973) एससी, 2407, लेहना बनाम हरियाणा राज्य [2002] 3 एससीसी 76 और गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उडीसा राज्य [2002] 8 एससीसी 381 में भी यही पाया है।

13. उपरोक्त स्थिति को बाबूलाल भगवार खंडेरा व अन्य बनाम महाराष्ट राज्य [2005] 10 एससीसी 404 और सलीम साहिब बनाम एम.पी. राज्य [2007] 1 एससीसी 699 में भी इसी स्थिति को प्रकाशित किया गया है।

14. साक्षीगण के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक और अपीलार्थी के मध्य संबंध खराब थे और हमला होने से पहले दोनों के मध्य गर्मागर्मी, बोलचाल अभियुक्त व मृतक के बीच हुई थी और दोनों आपस में झगड़ रहे थे।

15. भादसं दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 04 को काम में लेने के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि मानव वध अचानक झगडा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लडाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराध अनुचित लाभ उठाये बिना और क्रुरतापूर्ण या अप्रायिक रिति से कार्य किए बिना किया गया हो।

16. धारा 302 का अपवाद 4 अचानक झगड़े के अधीन हुए तथ्यों को समाहित करता हैं। यह अपवाद अभियोजन के मामले से संबंध रखता है और पहले अपवाद में नही आता हैं इसका स्थान पहले के बजाय 4 में आता है। इसी सिद्धांत पर यह अपवाद टिका हुआ है और दोनों में ही पूर्व चिंतन का अभाव है लेकिन अपवाद सं 01 में स्वयं के नियंत्रण का पूर्ण अभाव है और अपवाद सं 4 के मामले में केवल यह है कि आवेश की तीव्रता ऐसी है कि यह झगडा हुआ है अन्यथा नहीं होता। अपवाद 4 में प्रकोपन है जैसा कि अपवाद 1 में है लेकिन करित चोटे प्रत्यक्षतः प्रकोपन के परिणामस्वरूप नहीं

है। वास्तव में अपवाद 4 ऐसे मामलों से संबंधित है जहां किया गया वार लग भी गया हो, कुछ प्रकोपन वास्तविक विवाद में दिए गये हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो कि झगडे का जन्म हुआ हो, फिर भी दोनों ही पक्षों का पश्चातवर्ती आचरण उन्हें अपराध के समान तल पर रखता है। अचानक झगडा तभी होता है जब आपस में प्रकोपन और एक दूसरे पर वार हों। अपराध मानव वध का स्पष्टतः पता नहीं लगाया जा सकता है कि एक तरफा प्रकोपन था न ही ऐसे मामलों मे पूर्ण दोष एक पक्ष पर रखा जा सकता है। यदि ऐसा था भी तो अपवाद ज्यादा युक्ति युक्त सं 01 ही है। पूर्व का कोई विचारविमर्श अथवा दृढ संकल्प झगड़े का नहीं है। एक झगड़ा अचानक होता है और दोनो ही पक्ष कमोबेश दोषी है। हो सकता है कि एक ने शुरूआत की हो लेकिन दूसरे ने उसे अपने आचरण के द्वारा बढावा नहीं दिया हो तो उसका परिणाम गंभीर नहीं हो सकता। ऐसे में तब दोनों की पक्षो का प्रकोपन ओर उग्रता है और यह पता लगाना कठिन है कि किसका कितना अंश झगडे में था। अपवाद 04 की मदद तभी ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना पूर्व चिंतन (ख) अचानक लडाई (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या कुररता पूर्ण या अप्रायिक रिति से कार्य किए बिना किया गया हो (घ) लडाई मृतक के साथ ही होना ही निश्चित हों। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि झगडा अपवाद 4 भादसं 302 धारा उल्लेखित भादसं में कही भी परिभाषित नहीं है झगडे करने के लिए दो की आवश्यकता होती है। तीव्र आवेश तब अपेक्षित है जब आवेश को ठंडा करने का समय न हो और इस मामले में पक्षकारान के मध्य बोलचाल आरंभ में ही हो गयी थी। एक झगडा दो व्यक्तियों के मध्य हथियार रहित या हथियार रहित हो सकता है। ऐसा सामान्य सिंद्धांत बनाया जाना संभव नहीं है कि किसे अचानक झगडा माना जाए यह तथ्यों का प्रश्न है कि जो झगडा हुआ वह अचानक था। यह आवश्यक नही है कि किसी प्रकरण के साबित तथ्यों पर यह निर्भर करता हो। अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह प्रयास नही है कि अचानक झगडा था और पूर्व चिंतन नहीं था। यह भी

बताना होगा कि अपराधी ने अनुचित लाभ उठाये बिना या कुरता पूर्ण या अप्रायिक रिति से कार्य किए बिना कार्य किया है। अनुचित लाभ जोकि अपवाद में काम लिया गया है का अर्थ निष्पक्ष लाभ है।

17. इसी स्थिति को संध्या जाधव बनाम महाराष्ट राज्य में प्रकाशित किया है।

18. इस प्रकार तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रचाते हुए हम यह पाते हैं कि युक्ति युक्त दोषसिद्धि धारा 304 भाग क के अनुसार है। 10 वर्ष के कारावास की सजा न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति करेगीं। अपील उपरोक्त आदेश के हद तक स्वीकार है।

आंशिक अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अशोक सेन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।